



संख्या : /जी०एस०(शिक्षा)/A3-04/2018

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड  
महोदय,

देहरादून: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2021

कृपया अपने पत्र संख्या: 2026 के०यू०/मान्यता/सम्बद्धता/2020-21 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा द्रोण बी०एड० कॉलेज फॉर वुमैन, दिनेशपुर रोड, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को बी०एड० पाठ्यक्रम में 50 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलपति की संस्तुति एवं कुलसचिव की आख्या के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थायी सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति द्वारा कार्यान्तर स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

क्र०	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
I.	द्रोण बी०एड० कॉलेज फॉर वुमैन, दिनेशपुर रोड, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।	बी०एड०	50 सीट	सत्र 2020-21

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2- विश्वविद्यालय का दायित्व मात्र सम्बद्धता आदेश निर्गत करना नहीं अपितु छात्र हित में यू०जी०सी० विनियमानुसार/उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण कराना भी आवश्यक रूप से होना चाहिए। इसी क्रम में संस्थान में फ़ैकल्टी की मानकानुसार पूर्ण नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।

3- आगामी सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2027 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A3-04/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक, द्रोण बी०एड० कॉलेज फॉर वुमैन, दिनेशपुर रोड, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन०के० पोखरियाल)  
कुलाधिपति के उपसचिव।